

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मई 2016— वैशाख 17, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-18/2015/32 . — छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा;

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस 1/4, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(क) विकास हेतु अनुज्ञा के लिये—

(एक)	1 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के विकास के लिये	—	रु. 3750 /—
(दो)	1 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	—	रु. 7500 /—
(तीन)	2.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	—	रु. 15000 /—
(चार)	5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के विकास के लिये प्रत्येक हेक्टेयर या उसके भाग के लिये अतिरिक्त फीस	—	रु. 3750 /—”

2. नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“बहुमंजिले भवन से भिन्न के अनुज्ञा के लिए—

मद	निर्माण का प्रकार	निर्मित क्षेत्रफल		प्रभार्य शुल्क
क्र.		वर्ग मीटर	वर्ग मीटर	रूपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	0	75	750.00
		76	125	1315.00
		126	200	2250.00
		201	300	3375.00
		301	400	4500.00
		401	600	7500.00
		601	750	9375.00

		751	1000	13125.00
		1001	1250	18750.00
		1251	1500	26250.00
		1501	2000	37500.00
		2001	2500	56250.00
			2500 से अधिक	56250.00 एवं प्रति वर्ग मी. के लिये रु. 20 अतिरिक्त शुल्क
दो	भवन जो दुकान, भण्डार गृह, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	मद क्र. एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ फीस की ऐसी रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार, सिवाय इसके कि 2500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के लिये प्रभार्य फीस रु. 20 प्रति वर्ग मी. अतिरिक्त फीस होगी।		
तीन	भवन जो कि किसी कारखाने में प्रशासनिक खण्ड के रूप में उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	मद क्र. एक में यथाविहित फीस।		
चार	भवन जो दुकान सह निवास के प्रयोजन से उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	मद क्र. एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ ऐसी फीस की रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार।		
पांच	भवन जो सिनेमा थियेटर के रूप में उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	800 तक की बैठक क्षमता— रु. 22,500 800 से अधिक बैठक क्षमता— रु. 37,500		

छः	भवन जो किसी सामाजिक, धर्मार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों, धर्मशाला एवं इसी प्रकार के भवनों तथा किसी अन्य प्रयोजन जिसके लिये विशेष रूप से उपबंध न हो; के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	मद क्र. चार में विनिर्दिष्ट फीस का 50%
सात	निर्मित क्षेत्र में परिवर्धन या परिवर्तन अथवा बाह्य परिवर्धन या परिवर्तन जिससे निर्मित क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती हो जैसे आंगन, चहार दिवारी, उपस्थापना या छत निर्माण में परिवर्तन जैसा कि समतल सतह की ए. सी. शीट में टाइल्स लगाना, अतिरिक्त मार्ग खोलना या बंद करना जो नियम 94 के उप-नियम (1) के उपबंध के अन्तर्गत नहीं आते हों।	मद क्र. एक, तीन और छः में उल्लिखित प्रत्येक भवन में रु. 150 तथा मद क्र. दो, चार और पांच में उल्लिखित प्रत्येक भवन के मामले में रु. 750।
आठ	प्रस्तावित रेखांक में अतिरिक्त परिवर्तन के मामले में	5% तक कुछ नहीं, 5% से अधिक तथा 10% तक रु. 200.00। 10% से अधिक के लिये, नियमों के अनुसार नया आवेदन आवश्यक होगा।

नौ	भवन अनुज्ञा का पुनः विधिमान्यकरण	संबंधित भवन के संबंध में मूलतः प्रभारित की गई फीस की रकम का 15%।”
----	-------------------------------------	--

3. नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“बहुमंजिले भवन हेतु अनुज्ञा के लिए-

मद क्र.	निर्माण का प्रकार	प्रभारित फीस रुपये में
एक	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	रु. 35.00 प्रति वर्गमीटर तल क्षेत्रफल।

टीप : मद क्र. एक में विहित फीस में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

क्रमांक एफ 7-18/2015/32 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-5-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd May 2016

NOTIFICATION

No. F 7-18/2015/32. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. S1/4, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) of sub-rule (3) of rule 21, the following clause shall be substituted, namely :-

“(a) For permission for development –

(i)	For development of area up to 1 hectare	-	Rs. 3750/-
(ii)	For development of area exceeding 1 hectare but not exceeding 2.5 hectare	-	Rs. 7500/-

(iii)	For development of area exceeding 2.5 hectare but not exceeding 5 hectare	-	Rs.15000/-
(iv)	For development of area exceeding 5 hectare for every hectare or part there of, additional fee at	-	Rs. 3750/-"

2. For clause (b) of sub-rule (3) of rule 21, the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) For permission for buildings other than multi storied buildings-

Item No.	Type of Construction	Build up Area		Fees Chargeable
		Sq. meter	Sq. meter	In Rupees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i	A building intended to be used exclusively for residence.	0	75	750.00
		76	125	1315.00
		126	200	2250.00
		201	300	3375.00
		301	400	4500.00
		401	600	7500.00
		601	750	9375.00
		751	1000	13125.00
		1001	1250	18750.00
		1251	1500	26250.00

		1501	2000	37500.00
		2001	2500	56250.00
			Above 2500	56250.00 & Rs.20 per sq. m. for additional fees
ii	A building intended to be used as shop . store house, factory or for carrying on trade or business or any other commercial or industrial purpose	Fee specified in item No. i together with an additional charge of 50% of such amount of fees, except that for a built up area above 2500 square meters the fees chargeable shall be Rs. 20 per sq. m. for additional fees.		
iii	A building intended to be used as administrative block in a factory.	Fees as prescribed in item No. i.		
iv	A building intended to be used for shop-cum residence purposes.	Fees specified in item No. i together with an additional charge of 50% of such amount of fees.		
V	A building intended to be used as Cinema Theater	Up to 800 seating capacity - Rs. 22,500 Above 800 seating capacity - Rs. 37,500		
vi	A building intended to be used for any social charitable culture,educational purposes,Dharmsh ala and similar	50% of fees specified in item No. iv.		

	types of building and for any other purpose not specifically provided for.	
vii	Addition or alteration with built up area or external addition or alteration, which does not add to the built up area such as Courtyard compound wall, alteration in elevation or roofing such as tiles to A. C. Sheet or flat surface, additional opening or closing not covered by provision to sub rule (1) of Rule 94	Rs. 150 in each of building mentioned in items i, iii and vi Rs. 750 in each case of building mentioned in items Nos. ii, iv and v.
viii	In case of addition alteration in the proposed plan	Up to 5 % Nil. Above 5% to 10% Rs. 200.00. Above 10% fresh application according to the rules shall be necessary.
ix	Revalidation of the building permission.	15 % of the amount of fees charged originally in respect of the building concerned."

3. For clause (c) of sub-rule (3) of rule 21, the following shall be substituted:-

“ For permission for multi storied buildings-

Item No.	Type of construction	Fees chargeable in rupees
i	A building intended to be used exclusively for residence.	Rs. 35.00 per Sq. Mts. floor area space

Note: Fee prescribed in item no. i to be increased by 10% every year.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.